न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 52/2023 दायर दिनांक 20.06.2023

उनवान

1. दोलतराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र भैरूलाल जाति धाकड नि सुनेल तहसील सुनेल
2. भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ नि सुनेल तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री हुकुमचन्द कुमावत

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, 2 – श्री रमेशचन्द सोनी

निर्णय दिनांक 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 50 की आराजी ख.नं 88 रकबा 4.2618 हे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काष्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/771 दिनांक 18.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 50 की आराजी ख.नं 88 रकबा 4.2618 हे. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1.	गंगाराम पुत्र भैरूलाल जाति धाकड नि सुनेल	88	1.4206	माल प्रथम
2	दोलतराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल	88	1.4206	माल प्रथम
3	भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ नि सुनेल	88	1.4206	माल प्रथम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 52/2023 दायर दिनांक 20.06.2023

उनवान

1. दोलतराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र भैरूंलाल जाति धाकड नि सुनेल तहसील सुनेल
2. भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ नि सुनेल तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री हुकुमचंन्द कुमावत

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, 2 – श्री रमेशचन्द सोनी

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..............................मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम घाटाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 50 की आराजी ख.नं 88 रकबा 4.2618 हे. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	गंगाराम पुत्र भैरूंलाल जाति धाकड नि सुनेल	88	1.4206	माल प्रथम
2	दोलतराम पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल	88	1.4206	माल प्रथम
3	भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड नि सुनेल	88	1.4206	माल प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:39 IST
Reason: SelfAttested

22/7/25

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सुनेल उंक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

22/7/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X.............मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ....X............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner